अनुदान संख्या 46 - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
GRANT No. 46 – DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	30681,98,00	30685,78,00	25575,94,00	-5109,84,00
पूरक	Supplementary	3,80,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4532,21,04
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted–				
मूल	Original	2298,31,00	2298,32,00	1299,94,75	-998,37,25
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				925,02,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹510984.00 लाख) दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त में किए गए ₹380.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹510984.00 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹380.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat- Social Services				
मू.	O.	5600.00	6076.00	5440.47	-635.53
पु.	R.	476.00			
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	63000.00	88955.00	86748.15	-2206.85
पु.	R.	25955.00			
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	839066.00	745204.41	703470.38	- 41734.03
पू.	S.	373.00			
पु.	R.	-94234.59			
मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण	Major Head "2211" Family Welfare				
मू.	O.	1215228.00	1102120.42	1088820.62	-13299.80
पू.	S.	3.00			
पु.	R.	-113110.58			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	271270.00	2.00	..	-2.00
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-271270.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	629927.00				
पू.	S.	1.00		654634.13	654956.51	+322.38
पु.	R.	24706.13				
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments					
मू.	O.	6421.00				
				2842.00	2814.02	-27.98
पु.	R.	-3579.00				
मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर	Major Head "3606" Aid Materials and Equipments					
मू.	O.	37536.00				
पू.	S.	1.00		15373.00	15193.91	-179.09
पु.	R.	-22164.00				

(I) ₹311248.00 लाख का प्रावधान (₹373.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) नब्बे शीर्षों के अतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹310479.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" -

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान" -

(i) "अन्य व्यय - सरकारी कालेजों में यूजी/पीजी सीटों के लिए परामर्श" - ₹370.00 लाख का पूरक प्रावधान स्कीम के दिशानिर्देशों को अंतिम

(I) Provision of ₹311248.00 lakhs (including supplementary grant of ₹373.00 lakhs) remained wholly unutilized under ninety heads; of these ₹310479.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2210" –

(a) "Medical Education, Training and Research" –

(i) "Other Expenditure – Counselling for UG/PG seats in Government Colleges" – supplementary provision of ₹370.00

रूप न दिए जाने के कारण था।

(ii) "एलोपैथी - भारतीय चिकित्सा परिषद को अनुदान" - ₹132.00 लाख;

(ख) "लोक स्वास्थ्य" -

(i) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(1) "अभिघात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता" - ₹1520.00 लाख;

(2) "पराचिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण/सृजन" - ₹3040.00 लाख;

(ii) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(1) "अभिघात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता" - ₹820.00 लाख; और

(2) "पराचिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण/सृजन" - ₹1640.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान वित्तीय सहायता के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "अन्य व्यय" -

(1) "हज यात्रियों को टीका लगाने के लिए मेनिनजाइटिस वैक्सीन की अधिप्राप्ति" - ₹600.00 लाख हज यात्रियों के लिए वैक्सीन की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

lakhs - due to non- finalization of guidelines of the scheme.

(ii) "Allopathy – Grants to Medical Council of India" – ₹132.00 lakhs;

(b) "Public Health" –

(i) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(1) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - ₹1520.00 lakhs;

(2) "Strengthening/Creation of Paramedical Institutions" - ₹3040.00 lakhs;

(ii) "Tribal Area Sub Plan" –

(1) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - ₹820.00 lakhs; and

(2) "Strengthening/Creation of Paramedical Institutions" - ₹1640.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to non-receipt of viable proposals for financial assistance.

(iii) "Other Expenditure"-

(1) "Procurement of Meningitis Vaccine for Innoculation of Haj Pilgrims" - ₹600.00 lakhs - due to non-procurement of vaccines for Haz pilgrims.

(2) "एनसीडीसी की वर्तमान शाखाओं का सुदृढ़ीकरण और 27 शाखाओं की स्थापना" - ₹500.00 लाख;

(3) "स्वास्थ्य बीमा (सीजीईआईपीएस)" - ₹5000.00 लाख;

(4) "सरकारी चिकित्सा कालेजों और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण" - ₹200.00 लाख;

(5) "नए चिकित्सा कालेजों की स्थापना" - ₹200.00 लाख;

(6) "राज्यों में राज्य पराचिकित्सा विज्ञान संस्थाओं की स्थापना और पराचिकित्सा शिक्षा कालेज की स्थापना" - ₹200.00 लाख;

(7) "सरकारी चिकित्सा कालेजों में फार्मेसी कालेज की स्थापना" - ₹200.00 लाख;

(8) "राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹200.00 लाख;

(9) "राज्य खाद्य विनियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" - ₹200.00 लाख; और

(10) "नवीकरण आधारित स्कीमें" - ₹5000.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(2) "Strengthening of existing branches and establishment of 27 branches of NCDC"- ₹500.00 lakhs;

(3) "Health Insurance (CGEIPS)" - ₹5000.00 lakhs;

(4) "Strengthening Govt. Medical Colleges and Central Govt. Health Institutions" - ₹200.00 lakhs;

(5) "Establishing New Medical Colleges" - ₹200.00 lakhs;

(6) "Setting up of State Institutions of paramedical sciences in States and Setting up of College of Paramedical Education" - ₹200.00 lakhs;

(7) "Setting up of College of pharmacy in Govt. Medical Colleges" - ₹200.00 lakhs;

(8) "Strengthening of State Drug Regulatory System" -₹200.00 lakhs;

(9) "Strengthening of State Food Regulatory System" -₹200.00 lakhs; and

(10) "Innovation based Schemes" - ₹5000.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to non-taking off of the schemes.

(B) Major Head "2211" –

(क) “अनुसंधान और मूल्यांकन - केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ” - ₹650.00 लाख संस्थान के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण थे।

(ख) “शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय” - ₹112.00 लाख संघ राज्य क्षेत्रों से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(ग) “प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में औषधियों और उपस्करों (वैक्सीन आदि से भिन्न) की पूर्तियों पर व्यय” - ₹160.00 लाख औषधियों और पूर्तियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे।

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” -

(i) “उन्नत अनुपूरक परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण” - ₹1954.00 लाख;

(ii) “देश में सभी जन स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क जिनेरिक औषधियां उपलब्ध कराया जाना” - ₹1954.00 लाख;

(ङ) “जनजातीय क्षेत्र उपयोजना”-

(i) “उन्नत अनुपूरक परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण” - ₹1059.00 लाख; और

(ii) “देश में सभी जन स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क जिनेरिक औषधियां उपलब्ध कराया जाना” - ₹1059.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को शुरू न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(a) “Research and Evaluation - Central Drugs Research Institute, Lucknow”- ₹650.00 lakhs - due to availability of unspent balances with the institute.

(b) “Urban Family Welfare Services - Expenditure in Union Territories without legislature”- ₹112.00 lakhs - due to non-receipt of claims from Union Territories.

(c) “Reproductive and Child Health – Expenditure on Supplies of Drugs and Equipments (Other than Vaccines etc.) in Union Territories without Legislature” - ₹160.00 lakhs - due to non-procurement of drugs and supplies.

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “Strengthening of District Hospitals for providing advanced secondary care” - ₹1954.00 lakhs;

(ii) “Providing free generic medicines in all public health institutions in the country” -₹1954.00 lakhs;

(e) “Tribal Area Sub Plan”-

(i) “Strengthening of District Hospitals for providing advanced secondary care” - ₹1059.00 lakhs; and.

(ii) “Providing free generic medicines in all public health institutions in the country” - ₹1059.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-taking off of the schemes.

(च) "अन्य व्यय" -

(i) "उन्नत अनुपूरक परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण" - ₹5987.00 लाख; और

(ii) "देश में सभी जन स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क जिनेरिक औषधियां उपलब्ध कराया जाना" - ₹5987.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अस्पतालों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन" -

(i) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" - ₹341.00 लाख;

(ii) "राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रखरखाव" - ₹4489.00 लाख;

(ख) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण" -

(i) "एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण" - ₹1150.00 लाख;

(ii) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र" - ₹230.00 लाख;

(iii) "एमपीडब्ल्यू (पुरुष) का प्रशिक्षण" - ₹117.00 लाख;

(ग) "परिवार कल्याण - अनुसंधान और मूल्यांकन - जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान" - ₹150.00 लाख;

(घ) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उपकेंद्र" - ₹29599.00 लाख;

(f) "Other Expenditure"-

(i) "Strengthening of District Hospitals for providing advanced secondary care" - ₹5987.00 lakhs; and

(ii) Providing free generic medicines in all public health institutions in the country" -₹5987.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to availability of unspent balances with the hospitals.

(C) Major Head "2552" –

(a) "Family Welfare – Direction and Administration" –

(i) "Regional Health Offices" – ₹341.00 lakhs;

(ii) "Maintenance of State/District FW Bureaux" – ₹4489.00 lakhs;

(b) "Family Welfare – Training" –

(i) "Training of ANM/LHVs" – ₹1150.00 lakhs;

(ii) "Health and FW Training Centres" – ₹230.00 lakhs;

(iii) "Training of MPWs (Male)"- ₹117.00 lakhs;

(c) "Family Welfare - Research and Evaluation - Demographic and Other Communication Research"- ₹150.00 lakhs;

(d) "Family Welfare - Rural Family Welfare Services - Sub-Centres" – ₹29599.00 lakhs;

(ङ) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र" - ₹600.00 लाख;

(च) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(i) "राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल" - ₹59300.00 लाख;

(ii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (प्रचालन लागत) - ₹1650.00 लाख;

(iii) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की पूर्ति" - ₹2300.00 लाख;

(iv) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन की पूर्ति" - ₹1204.00 लाख;

(v) "वैक्सीन आदि से भिन्न औषधियों और उपस्करों की पूर्ति" - ₹2875.00 लाख;

(छ) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और पूर्तियां" -

(i) "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिवार नियोजन सामग्री भी नि:शुल्क पूर्ति - ₹500.00 लाख;

(ii) गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" - ₹1250.00 लाख;

(ज) "परिवार कल्याण - जन शिक्षा" -

(i) "सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच" - ₹1967.00 लाख; और

(e) "Family Welfare - Urban Family Welfare Services - Urban Family Welfare Centres" - ₹600.00 lakhs;

(f) "Family Welfare – Reproductive and Child Health" –

(i) "RCH Flexible Pool for State PIPs" – ₹59300.00 lakhs;

(ii) "Pulse Polio Immunisation Programme (Operating Cost)" – ₹1650.00 lakhs;

(iii) "Supply of Vaccine under Routine Immunisation Programme" – ₹2300.00 lakhs;

(iv) "Supply of Vaccine under Pulse Polio Immunisation Programme" – ₹1204.00 lakhs;

(v) "Supply of Drugs and Equipments Other than Vaccines etc." – ₹2875.00 lakhs;

(g) "Family Welfare – Other Services and Supplies" -

(i) "Free Supply of FP Material to States/UTs" – ₹500.00 lakhs;

(ii) "Social Marketing of Contraceptives" – ₹1250.00 lakhs;

(h) "Family Welfare – Mass Education" –

(i) "Information, Education and Communication - RCH" - ₹1967.00 lakhs; and

(ii) "पीएनडीटी अधिनियम संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार" - ₹101.00 लाख।

उपर्युक्त सत्रह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "सूचना, शिक्षा और संचार - गैर-आरसीएच" - ₹220.00 लाख;

(झ) "परिवार कल्याण - अन्य व्यय" -

(i) "उन्नत अनुपूरक परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए जिला अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण" - ₹1000.00 लाख; और

(ii) "देश में सभी जन स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क जिनेरिक औषधियां उपलब्ध कराया जाना" - ₹1000.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में न्यून आमेलन क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) "मिशन फ्लेक्सीबल पूल" - ₹69900.00 लाख;

(iv) "एनआरएचएम को अग्रिम संयोजन" - ₹11000.00 लाख;

(ञ) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी - केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों और अस्पतालों की स्थापना" - ₹920.00 लाख;

(ट) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(ii) "Information, Education and Communication on PNDT Act"- ₹101.00 lakhs.

Provisions under the above seventeen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Information, Education and Communication - Non-RCH" - ₹220.00 lakhs;

(i) "Family Welfare – Other Expenditure" –

(i) "Strengthening of District Hospitals for providing advanced secondary care" - ₹1000.00 lakhs; and

(ii) "Providing free generic medicines in all public health institutions in the country" -₹1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States.

(iii) "Mission Flexible Pool" – ₹69900.00 lakhs;

(iv) "Forward Linkages to NRHM" - ₹11000.00 lakhs;

(j) "Urban Health Services – Allopathy – Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries and Hospitals" – ₹920.00 lakhs;

(k) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" -

(i) "पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग" - ₹15001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, इम्फाल" - ₹17826.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(iii) "लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" - ₹6325.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "पराचिकित्सा और परिचर्या विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, आइजोल" - ₹3680.00 लाख; और

(ठ) "लोक स्वास्थ्य - प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास" - ₹250.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में न्यून आमेलन क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ड) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" -

(i) "राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹12500.00 लाख;

(i) "North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – ₹15001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹17826.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(iii) "Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur" – ₹6325.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iv) "Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences (RIPANS), Aizawal" – ₹3680.00 lakhs; and

(l) "Public Health – Training – Development of Nursing Services" – ₹250.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States.

(m) "Public Health – Prevention and Control of Diseases" –

(i) "National Vector Borne Disease Control Programme" – ₹12500.00 lakhs;

(ii) "राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹480.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹3200.00 लाख;

(iv) "राष्ट्रीय अंधता और रोहा नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2900.00;

(v) "राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹350.00 लाख;

(vi) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - ₹1300.00 लाख;

(vii) "राष्ट्रीय औषध अवव्यसन नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹230.00 लाख;

(ढ) "लोक स्वास्थ्य - अन्य व्यय" -

(i) "राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम" - ₹630.00 लाख;

(ii) "अभिघात केंद्रों की क्षमता निर्माण के लिए सहायता" - ₹1000.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹3000.00 लाख; और

(iv) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - ₹5050.00 लाख।

उपर्युक्त ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) "National Leprosy Control Programme" – ₹480.00 lakhs;

(iii) "National T.B. Control Programme" – ₹3200.00 lakhs;

(iv) "National Blindness and Trachoma Control Programme" – ₹2900.00 lakhs;

(v) "National IDD Control Programme" – ₹350.00 lakhs;

(vi) "National Mental Health Programme" – ₹1300.00 lakhs;

(vii) "National Drugs De-addiction Control Programme" - ₹230.00 lakhs;

(n) "Public Health – Other Expenditure" -

(i) "National Integrated Disease Surveillance Programme" – ₹630.00 lakhs;

(ii) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" – ₹1000.00 lakhs;

(iii) "National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke" – ₹3000.00 lakhs; and

(iv) "Human Resources for Health" – ₹5050.00 lakhs.

Provisions under the above eleven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(v) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन" - ₹530.00 लाख;

(vi) "जिला अस्पताल" - ₹3620.00 लाख; और

(vii) "राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" - ₹1500.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर राज्यों में न्यून आमेलन क्षमता और कम अवसंरचना होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - आरसीएच औषधियों और उपस्करों की पूर्ति" - ₹500.00 लाख संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग" के अंतर्गत ₹156.51 लाख की बचत (₹5568.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" -

(i) "स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय" - ₹597.62 लाख की बचत (₹4330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, कुछ कमरों का नवीकरण किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(v) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" – ₹530.00 lakhs;

(vi) "District Hospitals" – ₹3620.00 lakhs; and

(vii) "National Programme for Health Care for the Elderly" – ₹1500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to low absorbing capacity and less infrastructure in North Eastern States.

(D) Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Family Welfare - Reproductive and Child Health - Supply of RCH Drugs and Equipments" - ₹500.00 lakhs - due to availability of unspent balances with Union Territory Governments.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Health and Family Welfare" – saving of ₹156.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5568.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less procurement of Information Technology related equipments.

(III) Under Major Head "2210" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Urban Health Services - Allopathy" –

(a) "Direction and Administration" –

(i) "Directorate General of Health Services" - saving of ₹597.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4330.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards renovation of some rooms and economy measures.

(ii) "राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय" - ₹2665.44 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "चिकित्सा भंडार संगठन - डिपो" - ₹160.52 लाख की बचत (₹4201.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और नवीकरण कार्यों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(ग) "अस्पताल और औषधालय" -

(i) "अखिल भारतीय शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुंबई" - ₹136.73 लाख की बचत (₹1575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(ii) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹582.25 लाख की बचत (₹5540.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, पूर्तियों और सामग्रियों की अधिप्राप्ति न किए जाने और लघु निर्माण कार्यों, किराया दरों एवं करों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(घ) "अन्य व्यय - भारत और विदेश में सामग्रियों की खरीद" - ₹117.62 लाख की बचत (₹10200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों की अधिप्राप्ति के लिए बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(ii) "National Medical Library" – saving of ₹2665.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2900.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of medical journals and other publications.

(b) "Medical Stores Organization - Depots" – saving of ₹160.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4201.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-materialisation of renovation works.

(c) "Hospitals and Dispensaries" –

(i) "All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation,Mumbai"- saving of ₹136.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1575.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" - saving of ₹582.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5540.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of supplies and materials and requirement of less funds towards minor works, rent, rates and taxes.

(d) "Other Expenditure - Purchase of Materials in India and abroad" - saving of ₹117.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10200.00 lakhs) was due to non-receipt of bills towards procurement of supplies.

(B) "Medical Education, Training and Research - Allopathy"-

(क) "वल्लभ भाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान" - ₹821.50 लाख की बचत (₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3792.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल" - ₹1158.11 लाख की बचत (₹19800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और संविदात्मक कर्मचारियों को नियुक्त न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "कैंसर अनुसंधान" - ₹3005.00 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) "अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान" - ₹1758.39 लाख की बचत (₹4650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़ को अनुदान" - ₹1277.00 लाख की बचत (₹54600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(च) "क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी" - ₹2665.00 लाख की बचत (₹27575.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) "सेवाग्राम में चिकित्सा कालेज के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति, वर्धा को अनुदान" - ₹649.91 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(a) "Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi"- saving of ₹821.50 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3792.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(b) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K.Hospital" - saving of ₹1158.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-appointment of contractual staff.

(c) "Cancer Research" - saving of ₹3005.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs);

(d) "Grants to All India Institute of Speech and Hearing, Mysore" - saving of ₹1758.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4650.00 lakhs);

(e) "Grants to Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh"- saving of ₹1277.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹54600.00 lakhs);

(f) "Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry" - saving of ₹2665.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27575.00 lakhs); and

(g) "Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram" - saving of ₹649.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to availability of unspent balances of previous year.

(ज) "डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली" - ₹457.16 लाख की बचत (₹1610.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु निर्माण कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(h) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research, New Delhi" – saving of ₹457.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1610.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards minor works and non-procurement of equipments.

(झ) "एम्स की तरह के अतिविशिष्ट अस्पतालों एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन" - ₹1121.47 लाख की बचत (₹12800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्तियों की अधिप्राप्ति, वेतन और भत्तों तथा अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(i) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and Upgrading of State Government Hospitals" - saving of ₹1121.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of supplies, pay and allowances and other establishment related expenses.

(गा) "लोक स्वास्थ्य" -

(C) "Public Health" –

(क) "निदेशन और प्रशासन - विमानपत्तन संगठन सहित पत्तन स्वास्थ्य स्थापना" - ₹350.68 लाख की बचत (₹2190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Direction and Administration – Port Health Establishment including Airport Organisation" - saving of ₹350.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2190.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(ख) "प्रशिक्षण - परिचर्या सेवाओं का विकास" - ₹1459.00 लाख की बचत (₹2250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(b) "Training - Development of Nursing Services" - saving of ₹1459.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2250.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificates.

(ग) "रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" -

(c) "Prevention and Control of Diseases" –

(i) "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र), दिल्ली" - ₹1002.56 लाख की

(i) "National Institute of Communicable Diseases (National Centre for Disease

बचत (₹4195.00 लाख की स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(ii) "राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹30030.26 लाख की बचत (₹56715.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति अभिकरणों के बिलों का निपटान न किए जाने, सेवाओं की कम अधिप्राप्ति किए जाने, राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) "आयोडीन की कमी से होने वाली विकृतियों को नियंत्रित करने संबंधी कार्यक्रम" - ₹3118.69 लाख की बचत (₹4110.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और अधिप्राप्ति के प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(iv) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹12703.65 लाख की बचत (₹56197.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षयरोग रोधी औषधियों की अधिप्राप्ति संबंधी बोलियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(v) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - ₹3575.99 लाख की बचत (₹8650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना विकास से संबंधित कार्य की धीमी प्रगति होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

Control), Delhi" - saving of ₹1002.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4195.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(ii) "National Vector Borne Disease Control Programme" - saving of ₹30030.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56715.00 lakhs) was due to non-settlement of bills of Procurement Agencies, less procurement of services, availability of unspent balances with State Societies and non-receipt of utilization certificates.

(iii) "Iodine Deficiency Disorders Control Programme" – saving of ₹3118.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4110.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies and receipt of less procurement proposals.

(iv) "National T.B. Control Programme" - saving of ₹12703.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹56197.00 lakhs) was due to non-finalisation of bids for procurement of anti T.B. drugs.

(v) "National Mental Health Programme " - saving of ₹3575.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8650.00 lakhs) was due to slow progress of work related to infrastructural development and availability of unspent balances with implementing agencies.

(vi) "रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹1690.76 लाख की बचत (₹17239.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(vii) "राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹457.87 लाख की बचत (₹2722.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(viii) "राष्ट्रीय औषध अवव्यसन कार्यक्रम" - ₹519.65 लाख की बचत (₹2070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम - भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण" - ₹754.50 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ङ) "औषध नियंत्रण" -

(i) "केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" - ₹2167.48 लाख की बचत (₹5550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, कम वृत्तिकों को काम पर रखे जाने और अन्य स्थापना संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय औषध कोश आयोग" - ₹728.40 लाख की बचत (₹1850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(vi) "Trachoma and Blindness Control Programme" - saving of ₹1690.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17239.00 lakhs);

(vii) "National Leprosy Control Programme" – saving of ₹457.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2722.00 lakhs);

(viii) "National Drugs De-addiction Programme" - saving of ₹519.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2070.00 lakhs); and

(d) "Prevention of Food Adulteration – Food Safety and Standards Authority of India" - saving of ₹754.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to availability of unspent balances with implementing agencies.

(e) "Drugs Control" -

(i) "Central Drugs Standards Control Organisation" - saving of ₹2167.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5550.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less hiring of professionals and requirement of less funds towards other establishment related expenses.

(ii) "Indian Pharmacopoeia Commission" - saving of ₹728.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1850.00 lakhs) was due to slow progress of work related to infrastructural development.

(च) "सेरा/वैक्सीनों का विनिर्माण" -

(i) "बी.सी.जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गुइंडी, चेन्नई" - ₹1261.10 लाख की बचत (₹1973.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, और लघु निर्माण कार्यों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) "भारतीय पैस्च्योर संस्थान, कूनूर को अनुदान" - ₹428.22 लाख की बचत (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(छ) "लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं" -

(i) "सीरम विज्ञान संस्थान, कोलकाता" - ₹126.32 लाख की बचत (₹536.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और लघु निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई।

(ii) "कैंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" - ₹2334.19 लाख की बचत (₹5306.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ज) "लोक स्वास्थ्य शिक्षा - अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता" - ₹379.70 लाख की बचत (₹2795.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को भरे न जाने, उपस्करों की कम अधिप्राप्ति किए जाने और निर्माण कार्यों को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(f) "Manufacture of Sera/Vaccines" –

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" - saving of ₹1261.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1973.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of procurement proposals and non-approval of minor works.

(ii) "Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor" - saving of ₹428.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the Institute.

(g) "Public Health Laboratories" –

(i) "Institute of Serology, Kolkata" – saving of ₹126.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹536.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less minor works.

(ii) "Central Research Institute, Kasauli" – saving of ₹2334.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5306.00 lakhs); and

(h) "Public Health Education – All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata"- saving of ₹379.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2795.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts, less procurement of equipments and delay in finalization of works.

(झ) "लोक स्वास्थ्य प्रचार - केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, नई दिल्ली" - ₹105.89 लाख की बचत (₹350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और स्वास्थ्य प्रचार के लिए निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ञ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" -

(i) "राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹3253.78 लाख की बचत (₹4650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2985.25 लाख की बचत (₹5756.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2618.17 लाख की बचत (₹11000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) "राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹705.83 लाख की बचत (₹842.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(v) "एकीकृत रोग निगरानी परियोजना" - ₹997.95 लाख की बचत (₹1231.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य समितियों/राज्य कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(vi) "राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात कार्यक्रम" - ₹4045.79 लाख की

(i) "Public Health Publicity – Central Health Education Bureau, New Delhi" - saving of ₹105.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards health publicity.

(j) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "National Vector Borne Disease Control Programme" - saving of ₹3253.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4650.00 lakhs);

(ii) "National Programme for Control of Blindness" - saving of ₹2985.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5756.00 lakhs);

(iii) "National T.B. Control Programme" - saving of ₹2618.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11000.00 lakhs);

(iv) "National Leprosy Control Programme" - saving of ₹705.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹842.00 lakhs); and

(v) "Integrated Disease Surveillance Project" - saving of ₹997.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1231.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to availability of unspent balances with State Societies/State implementing agencies.

(vi) "National Programme for Diabetes, CVD and Stroke" - saving of ₹4045.79

बचत (₹4560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

lakhs (against the sanctioned provision of ₹4560.00 lakhs);

(vii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - ₹1897.97 लाख की बचत (₹1980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(vii) "National Mental Health Programme " - saving of ₹1897.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1980.00 lakhs);

(viii) "राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" - ₹1110.91 लाख की बचत (₹2280.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(viii) "National Programme for Health Care for the Elderly" - saving of ₹1110.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2280.00 lakhs);

(ix) "राज्य सरकार चिकित्सा कालेजों का उन्नयन" - ₹3660.00 लाख की बचत (₹5320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ix) "Upgradation of State Government Medical Colleges" - saving of ₹3660.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5320.00 lakhs);

(x) "परिचर्या सेवाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण" - ₹3884.25 लाख की बचत (₹4560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(x) "Upgradation/Strengthening of Nursing Services" - saving of ₹3884.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4560.00 lakhs);

(ट) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(k) "Tribal Area Sub Plan"-

(i) "राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवस्कुलर रोग और हृदयघात कार्यक्रम" - ₹2458.54 लाख की बचत (₹2460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(i) "National Programme for Diabetes, CVD and Stroke" - saving of ₹2458.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2460.00 lakhs);

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" - ₹1034.66 लाख की बचत (₹1070.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "National Mental Health Programme" - saving of ₹1034.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1070.00 lakhs);

(iii) "राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम" - ₹747.78 लाख की बचत (₹1230.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "National Programme for Health Care for the Elderly" - saving of ₹747.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1230.00 lakhs);

(iv) "राज्य सरकार के चिकित्सा कालेजों का

(iv) "Upgradation of State Government

उन्नयन" - ₹1303.00 लाख की बचत (₹2870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(v) "परिचर्या सेवाओं का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण" - ₹1619.77 लाख की बचत (₹2460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दस शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्तीय सहायता के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों के देर से प्राप्त होने के कारण हुईं।

(vi) "राष्ट्रीय वैक्टरजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹456.53 लाख की बचत (₹2550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(vii) "राष्ट्रीय रोहा और अंधता नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹476.71 लाख की बचत (₹3105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(viii) "राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2307.26 लाख की बचत (₹6603.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ix) "एकीकृत रोग निगरानी परियोजना" - ₹516.79 लाख की बचत (₹664.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ठ) "अन्य व्यय"-

(i) "लाला राम सरूप क्षयरोग और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली को अनुदान" - ₹682.65 लाख की बचत (₹4748.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

Medical Colleges" - saving of ₹1303.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2870.00 lakhs); and

(v) "Upgradation/Strengthening of Nursing Services" - saving of ₹1619.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2460.00 lakhs).

Savings under the above ten heads were due to less receipt of viable proposals for financial assistance.

(vi) "Nation Vector Borne Disease Control Programme" - saving of ₹456.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2550.00 lakhs);

(vii) "National Programme for Control of Trachoma and Blindness" - saving of ₹476.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3105.00 lakhs);

(viii) "National T.B. Control Programme" - saving of ₹2307.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6603.00 lakhs);

(ix) "Integrated Disease Surveillance Project" - saving of ₹516.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹664.00 lakhs); and

(l) "Other Expenditure" -

(i) "Grants to Lala Ram Sarup Institute of T.B. and Allied Diseases, New Delhi" - saving of ₹682.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4748.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(ii) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन" - ₹222.26 लाख की बचत (₹235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपदा तैयारी/नाभिकीय केंद्र एवं सामरिक स्वास्थ्य प्रचालन केंद्र के लिए प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(iii) "तम्बाकू मुक्ति संबंधी पहल" - ₹3275.68 लाख की बचत (₹4200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तम्बाकू-रोधी अभियान, उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(iv) "केंद्रीय स्कीमों के अंतर्गत नई पहल" - ₹25055.14 लाख की बचत (₹40494.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब होने की वजह से नई पहलों के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(v) "अभिघात केंद्रों संबंधी क्षमता निर्माण के लिए सहायता" - ₹5317.21 लाख की बचत (₹7860.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने और वेतन, स्थापना संबंधी व्ययों और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(vi) "एकीकृत रोग निगरानी परियोजना" - ₹894.82 लाख की बचत (₹3775.00 लाख के स्वीकृत

Savings under the above five heads were due to availability of unspent balances with State Societies.

(ii) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" - saving of ₹222.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹235.00 lakhs) was due to non-materialization of proposal for Disaster Preparedness/Nuclear Centre and Strategic Health Operation Centre.

(iii) "Tobacco Free Initiatives" – saving of ₹3275.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4200.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards Anti-Tobacco campaign, procurement of equipments and availability of unspent balances with implementing agencies.

(iv) "New Initiatives under Central Schemes" - saving of ₹25055.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40494.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of new initiatives owing to delay in administrative approval and availability of unspent balances with implementing agencies.

(v) "Assistance for Capacity Building for Trauma Centres" - saving of ₹5317.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7860.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals and requirement of less funds towards salary, establishment related expenses and creation of capital assets.

(vi) "Integrated Disease Surveillance Project" - saving of ₹894.82 lakhs

प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और सेवाओं/जनशक्ति की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था करने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(vii) "आपात चिकित्सा राहत (एविआन फ्लू)" - ₹143.34 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आपात स्थिति उत्पन्न न होने के कारण हुई।

(viii) "जिला अस्पताल" - ₹7915.00 लाख की बचत (₹23190.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ix) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - ₹24890.35 लाख की बचत (₹33750.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने, अवसंरचनात्मक विकास के मूर्तरूप न लेने, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" -

(क) "स्वास्थ्य सांख्यिकी और मूल्यांकन - स्वास्थ्य सूचना और निगरानी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" - ₹166.05 लाख की बचत (₹270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाहरी स्रोतों से जनशक्ति की व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने और बैठकों और सम्मेलनों को कम संख्या में आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹3775.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies and non-finalisation of proposals relating to outsourcing of services/manpower.

(vii) "Emergency Medical Relief (Avian Flu)" - saving of ₹143.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to non-occurance of emergent situation.

(viii) "District Hospitals" - saving of ₹7915.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23190.00 lakhs) was due to slow progress in implementation of the scheme and non-receipt of utilization certificates.

(ix) "Human Resources for Health" - saving of ₹24890.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33750.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals, non-materialization of infrastructural development, requirement of less funds towards creation of capital assets and non-receipt of utilization certificates.

(D) "General" –

(a) "Health Statistics and Evaluation – Strengthening of Health Information and Monitoring Systems" – saving of ₹166.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹270.00 lakhs) was due to delay in finalization of outsourced manpower and holding of less number of meetings and conferences.

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों को शिष्टमंडल" - ₹154.25 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों के शिष्टमंडलों की कम भागीदारी होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "निदेशन और प्रशासन" -

(क) "मुख्यालयों में तकनीकी स्कंध" - ₹351.74 लाख की बचत (₹2435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था, यात्राओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और कार्यालय उपस्करों की खरीद को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय" - ₹312.28 लाख की बचत (₹886.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(ग) "क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय" - ₹457.75 लाख की बचत (₹2819.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) "प्रशिक्षण" -

(क) "राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली" - ₹748.20 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4292.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और पूंजीगत

(b) "International Co-operation" – "Delegations to International Health Conferences" - saving of ₹154.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to less participation of delegates in International Health Conferences.

(IV) Under Major Head "2211" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" –

(a) "Technical Wing at Headquarters" – saving of ₹351.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2435.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards outsourcing of staff, travels and non-materialisation of purchase of office equipments.

(b) "Expenditure in Union Territories without Legislature" – saving of ₹312.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹886.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(c) "Regional Health Offices" – saving of ₹457.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2819.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less number of tours undertaken for training programmes.

(B) "Training" –

(a) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" - saving of ₹748.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4292.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due

परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

to availability of unspent balances with the Institute and requirement of less funds towards creation of capital assets.

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई" - ₹2704.56 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक विलम्ब की वजह से प्रशिक्षण/संगोष्ठी हाल/श्रेणी कक्षा/समिति कक्ष के निर्माण कार्य का निष्पादन न होने के कारण हुई।

(b) "International Institute for Population Sciences, Mumbai" - saving of ₹2704.56 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-execution of construction works of Training/Seminar Hall/Class Room/ Committee Room owing to procedural delay.

(ग) "परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई" - ₹191.95 लाख की बचत (₹460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(c) "Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - saving of ₹191.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(घ) "गांधीग्राम संस्थान" - ₹125.00 लाख की बचत (₹250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(d) "Gandhigram Institute" - saving of ₹125.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies.

(गा) "जन शिक्षा" -

(C) "Mass Education" –

(क) "मुख्यालयों में कार्यकलाप" - ₹406.62 लाख की बचत (₹2626.40 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जनसंचार माध्यम अभियानों पर निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(a) "Activities at Headquaters" - saving of ₹406.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2626.40 lakhs) was due to utilization of less funds by Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP) on media campaigns.

(ख) "पीएनडीटी अधिनियम संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार" - ₹216.84 लाख की बचत (₹912.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और बैठकों एवं सम्मेलनों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Information, Education and Communication on PNDT Act" - saving of ₹216.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹912.60 lakhs) was due to availability of unspent balances and requirement of less funds towards meetings and conferences.

(घा) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(क) "आरसीएच में प्रशिक्षण" - ₹508.66 लाख की बचत (₹1150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम प्रशिक्षण आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(ख) "आरसीएच में अनुसंधान और अध्ययन कार्यकलाप" - ₹179.37 लाख की बचत (₹180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सभी अनुसंधान कार्यकलापों का अंतरण किए जाने के कारण हुई।

(ग) "मुख्यालय में व्यय" - ₹552.63 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवाओं/जनशक्ति की बाहरी स्रोतों से कम व्यवस्था किए जाने के कारण हुई।

(घ) "राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल" - ₹61428.33 लाख की बचत (₹283656.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में वैक्सीनों आदि की पूर्ति पर व्यय" - ₹261.16 लाख की बचत (₹387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब होने की वजह से कोल्ड चेन उपस्करों की पूर्ति न किए जाने के कारण हुई।

(च) "औषधियों और उपस्करों (वैक्सीन आदि से भिन्न) की अधिप्राप्ति" - ₹24278.01 लाख की बचत (₹28765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(D) "Reproductive and Child Health" -

(a) "Training in RCH" - saving of ₹508.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150.00 lakhs) was due to conduction of less trainings.

(b) "Research and Study activities in RCH" - saving of ₹179.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs) was due to transfer of all research activities to Indian Council of Medical Research (ICMR).

(c) "Expenditure at Headquarters" - saving of ₹552.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs) was due to less outsourcing of services/ manpower.

(d) "RCH Flexible Pool for State PIPs"- saving of ₹61428.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹283656.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with State Societies and non-receipt of utilization certificates.

(e) "Expenditure on Supply of Vaccines etc. in UTs without legislature" - saving of ₹261.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹387.00 lakhs) was due to non-supply of cold chain equipments owing to delay in finalization of procurement process.

(f) "Procurement of Drugs and Equipments (Other than Vaccines etc.)" - saving of ₹24278.01 lakhs (against the sanctioned provision ₹28765.00 lakhs); and

(ङ) "अन्य सेवाएं और पूर्तियां" -

(क) "परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क पूर्ति" - ₹755.70 लाख की बचत (₹11365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अधिप्राप्ति अभिकरणों के बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन" - ₹4716.45 लाख की बचत (₹11250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनशक्ति की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था, विज्ञापन एवं प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और पूर्तियों एवं सामग्रियों की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(चा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"-

(क) "राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल" - ₹2441.44 लाख की बचत (₹98019.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹386.03 लाख की बचत (₹8151.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(क) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹1657.82 लाख की बचत (₹4397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों/उप राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसों की संख्या कम होने की वजह से पल्स पोलियो कार्यक्रम की प्रचालन लागत के लिए

(E) "Other Services and Supplies" -

(a) "Free Supply of FP Material" - saving of ₹755.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11365.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-settlement of bills of procurement agencies.

(b) "Social Marketing of Contraceptives" - saving of ₹4716.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11250.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards outsourcing of manpower, advertisement and publicity and less procurement of supplies and materials.

(F) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "RCH Flexible Pool for State PIPs"– saving of ₹2441.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹98019.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with State Societies.

(b) "Pulse Polio Immunisation Programme" – saving of ₹386.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8151.00 lakhs); and

(G) "Tribal Area Sub Plan" –

(a) "Pulse Polio Immunisation Programme" - saving of ₹1657.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4397.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to requirement of less funds towards operating cost of Pulse Polio Programme owing to less

कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुईं।

(ख) "मिशन लचीला पूल" - ₹18802.00 लाख की बचत (₹62645.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(जा) "अन्य व्यय" -

(क) "मिशन लचीला पूल" - ₹41095.36 लाख की बचत (₹336425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य समितियों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(ख) "विशेषज्ञों की यात्रा/सम्मेलन/बैठकें आदि" - ₹114.92 लाख की बचत (₹115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैठकें/सम्मेलन कम आयोजित किए जाने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय" - ₹3642.28 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीमाकर्ता की देयता से अधिक दावों के संबंध में बीमाकर्ता को प्रशासनिक प्रभार रोक लिए जाने के कारण हुई।

(घ) "राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग" - ₹394.15 लाख की बचत (₹460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने और सेवाओं/जनशक्ति की बाहरी स्रोतों से व्यवस्था किए जाने, विज्ञापन एवं प्रचार और स्थापना व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ङ) "प्रबंधन सूचना प्रणाली" - ₹7061.09 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आयोजन में धीमी

number of National Immunization Days/Sub National Immunization Days.

(b) "Mission Flexible Pool" - saving of ₹18802.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹62645.00 lakhs); and

(H) "Other Expenditure"-

(a) "Mission Flexible Pool" - saving of ₹41095.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹336425.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with State Societies.

(b) "Travel of Experts/Conferences /Meetings etc." - saving of ₹114.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹115.00 lakhs) was due to conduction of less meetings/ conferences.

(c) "Measures under National Population Policy" - saving of ₹3642.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to withholding of administrative charges to the insurer in respect of claims in excess of insurer liability.

(d) "National Commission on Population" - saving of ₹394.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with implementing agencies and requirement of less funds towards outsourcing of services/manpower, advertisement and publicity and establishment expenses.

(e) "Management Information System" - saving of ₹7061.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs)

प्रगति होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय आईडीडी नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹174.41 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(खा) "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन" - ₹428.00 लाख की बचत (₹7347.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों के पास अप्रयुक्त परिवार नियोजन सामग्रियां (गर्भ निरोधक आदि) उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ख) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(i) "आरसीएच औषधियों और उपस्करों की पूर्ति" - ₹14135.37 लाख की बचत (₹16416.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹17319.54 लाख की बचत (₹51237.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (ईएसी)" - ₹4889.94 लाख की बचत (₹6295.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

was due to slow progress in conduction of Annual Health Survey.

(V) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Grants for Central Plan Schemes - Public Health - Prevention and Control of Diseases- National IDD Control Programme" - saving of ₹174.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with the State Governments.

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(a) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services – Revamping of Urban F.W. Centres" - saving of ₹428.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7347.00 lakhs) was due to availability of unutilised family planning materials (Contraceptives etc.) with the State Governments.

(b) "Family Welfare – Reproductive and Child Health"–

(i) "Supply of RCH Drugs and Equipments"- saving of ₹14135.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16416.00 lakhs);

(ii) "Routine Immunisation Programme" - saving of ₹17319.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51237.00 lakhs);

(c) "Public Health – Prevention and Control of Diseases – National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (EAC)" - saving of ₹4889.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6295.00 lakhs);

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना"-

(i) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - ₹112.62 लाख की बचत (₹4947.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" - ₹12519.95 लाख की बचत (₹29348.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) "पीएच - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" - ₹6747.97 लाख की बचत (₹9968.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और पूर्तियां" - ₹607.03 लाख की बचत (₹2256.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(i) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" - ₹6657.28 लाख की बचत (₹15832.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और पूर्तियां" - ₹402.00 लाख की बचत (₹1217.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - शहरी परिवार कल्याण केंद्र" - ₹271.50 लाख की बचत

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes"–

(i) "FW – Urban Family Welfare Services"- saving of ₹112.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4947.00 lakhs);

(ii) "Family Welfare –Reproductive and Child Health" - saving of ₹12519.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29348.00 lakhs);

(iii) "PH - Prevention and Control of Diseases"- saving of ₹6747.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9968.00 lakhs);

(iv) "Family Welfare - Other Services and Supplies"- saving of ₹607.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2256.00 lakhs);

(e) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "FW - Reproductive and Child Health" - saving of ₹6657.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15832.00 lakhs);

(ii) "FW- Other Services and Supplies" - saving of ₹402.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1217.00 lakhs);

(VI) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services - Urban FW Cetnres" - saving of ₹271.50

(₹362.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और पूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क पूर्ति" - ₹416.13 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव" - ₹245.02 लाख की बचत (₹443.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(क) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹488.28 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुईं।

(ख) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹1197.70 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम लागत समायोजनों, औषधियों एवं उपस्करों की कम अधिप्राप्ति, पेंटावैलेंट वैक्सीन शुरू किए जाने में विलम्ब होने और कार्यान्वयन अभिकरणों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष "3606" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "यूनिसेफ से सहायता - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो निर्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता" - ₹23814.62 लाख की बचत (₹33236.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संयुक्त राष्ट्र बाल निधि से

lakhs (against the sanctioned provision of ₹362.00 lakhs);

(B) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material" - saving of ₹416.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs);

(C) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/ Distt. FW Bureaux" - saving of ₹245.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹443.00 lakhs); and

(D) "Family Welfare – Reproductive and Child Health" –

(a) "Pulse Polio Immunization Programme" - saving of ₹488.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs).

Savings under the above thirteen heads were due to availability of unspent balances with implementing agencies/State Governments/Union Territory Governments.

(b) "Routine Immunisation Programme"- saving of ₹1197.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs) was due to less cost adjustments, less procurement of Drugs and Equipments, delay in introducing Pentavalent Vaccine and availability of unspent balances with implementing agencies.

(VII) Under Major Head "3606" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Assistance from UNICEF - Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication" - saving of ₹23814.62 lakhs (against the sanctioned

सहायता सामग्री कम प्राप्त होने के कारण हुई।

provision of ₹33236.00 lakhs) was due to receipt of less aid materials from the United Nations Children's Fund.

(खा) "विश्व स्वास्थ्य संगठन से सहायता - राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता" - ₹177.47 लाख की बचत (₹650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व स्वास्थ्य संगठन से वस्तु सहायता कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Assistance from World Health Organisation (WHO) - Material Assistance for National Leprosy Control Programme" - saving of ₹177.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹650.00 lakhs) was due to receipt of less commodity assistance from World Health Organisation.

(VIII) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹812.59 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक थीं

(VIII) Under eleven heads savings of ₹812.59 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 13 percent to 75 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹219711.86 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹379.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹219711.86 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹379.00 lakhs and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2071" - "सिविल - सीजीएचएस पेंशनभोगियों का चिकित्सा उपचार - केंद्र सरकारी पेंशनभोगी" - ₹25955.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹23748.15 लाख था।

(A) Major Head "2071"- "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners – Central Government Pensioners" – ₹25955.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23748.15 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2210" -

(B) Major Head "2210" -

(क) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी" -

(a) "Urban Health Services – Allopathy" –

(i) "केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना" - ₹18678.37 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15503.02 लाख था।

(i) "Central Government Health Scheme – Setting up of Dispensaries/ Hospitals" – ₹18678.37 lakhs. Actual excess, however, was ₹15503.02 lakhs.

(ii) "अस्पताल और औषधालय" -

(ii) "Hospitals and Dispensaries" –

(1) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹4000.85 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3829.34 लाख था।

(1) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – ₹4000.85 lakhs. Actual excess, however, was ₹3829.34 lakhs.

(2) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹2282.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2043.24 लाख था।

(2) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – ₹2282.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2043.24 lakhs.

(iii) "अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थाएं" - ₹1074.00 लाख।

(iii) "Other Expenditure - Institutions of higher learning as per Oversight Committee"- ₹1074.00 lakhs.

(ख) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(b) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली" - ₹14070.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹13470.00 लाख था।

(i) "All India Institute of Medical Sciences, New Delhi" - ₹14070.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13470.00 lakhs.

(ii) "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान" - ₹641.00 लाख।

(ii) "Grants to National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences, Bangalore" – ₹641.00 lakhs.

(iii) "पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग" - ₹13477.00 लाख।

(iii) "Grants to North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong" – ₹13477.00 lakhs.

(iv) "वर्धमान महावीर चिकित्सा कालेज, नई दिल्ली" - ₹450.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹536.10 लाख था।

(iv) "Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi"– ₹450.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹536.10 lakhs.

(v) "क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इम्फाल" - ₹17345.00 लाख।

(v) "Regional Institute of Medical Sciences, Imphal" – ₹17345.00 lakhs.

(ग) "लोक स्वास्थ्य - लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं - राष्ट्रीय जैव संस्थान, नोएडा (उ.प्र.)" - ₹275.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹249.00 लाख था।

(गा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(क) "जन शिक्षा - सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना" - ₹6967.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6775.49 लाख था।

(ख) "चयनित क्षेत्र कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित) - यूएसएआईडी सहायताप्राप्त परियोजना - एसआईएफपीएसए, उ.प्र. लखनऊ" - ₹1286.23 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1285.22 लाख था।

(ग) "प्रजनन और बाल स्वास्थ्य" -

(i) "नेमी टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹5243.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹5774.43 लाख था।

(ii) "पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹21673.76 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15461.44 लाख था।

(घा) मुख्य शीर्ष "3601" - "कैंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(क) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप केंद्र" - ₹46598.48 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹46597.52 लाख था।

(ख) "परिवार कल्याण - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य - पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम" - ₹7979.84 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹7983.97 लाख था।

(c) "Public Health – Public Health Laboratories – National Institute of Biologicals, Noida (U.P.)" – ₹275.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹249.00 lakhs.

(C) Major Head "2211" –

(a) "Mass Education – Information, Education and Communication – RCH Project" – ₹6967.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹6775.49 lakhs.

(b) "Selected Area Programmes (Including India Population Project) – USAID assisted Project - SIFPSA,U.P., Lucknow"- ₹1286.23 lakhs. Actual excess, however, was ₹1285.22 lakhs.

(c) "Reproductive and Child Health" –

(i) "Routine Immunisation Programme" – ₹5243.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5774.43 lakhs.

(ii) "Pulse Polio Immunisation Programme" – ₹21673.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹15461.44 lakhs.

(D) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes"-

(a) "Family Welfare - Rural Family Welfare Services - Sub-Centres" - ₹46598.48 lakhs. Actual excess, however, was ₹46597.52 lakhs.

(b) "Family Welfare - Reproductive and Child Health - Pulse Polio Immunisation Programme" - ₹7979.84 lakhs. Actual excess, however, was ₹7983.97 lakhs.

(ग) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" -

(i) "राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक)" - ₹3285.93 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3275.79 लाख था।

(ii) "काला-अजार नियंत्रण कार्यक्रम" - ₹2299.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2298.75 लाख था।

(iii) "स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन" - ₹10949.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹10948.70 लाख था।

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं" - ₹4751.61 लाख।

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" -

(i) "परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं" - ₹8613.07 लाख।

(ii) "पीएच - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण" - ₹165.82 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹395.04 लाख था।

(ङ) मुख्य शीर्ष "3606" - "संयुक्त राष्ट्र से सहायता - क्षयरोग और एड्स संयुक्त राष्ट्र नवाचार से राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सामग्री सहायता" - ₹1650.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1649.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(c) "Public Health - Prevention and Control of Diseases" -

(i) "National Vector Borne Disease Control Programme (Rural) (General Component)" – ₹3285.93 lakhs. Actual excess, however, was ₹3275.79 lakhs.

(ii) "Kala-Azar Control Programme" – ₹2299.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2298.75 lakhs.

(iii) "Human Resources for Health" – ₹10949.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹10948.70 lakhs.

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes - FW - Rural Family Welfare Services" - ₹4751.61 lakhs.

(e) "Tribal Area Sub Plan" –

(i) "FW - Rural Family Welfare Services" – ₹8613.07 lakhs.

(ii) "PH - Prevention and Control of Diseases" – ₹165.82 lakhs. Actual excess, however, was ₹395.04 lakhs.

(E) Major Head "3606" – "Assistance from UN – Material Assistance for National T.B. Control Programme from United Nations Innovative for T.B. and AIDS (UNITAID)" – ₹1650.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1649.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2210" - "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी - लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर" - ₹1800.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(A) Major Head "2210" – "Medical Education, Training and Research - Allopathy – Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tejpur"- excess of ₹1800.00 lakhs (against nil provision);

(खा) मुख्य शीर्ष "2211" -

(B) Major Head "2211" –

(क) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राज्य पीआईपी के लिए आरसीएच लचीला पूल" - ₹32389.46 लाख का अधिक व्यय (₹52876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) "Tribal Area Sub Plan - RCH Flexible Pool for State PIPs" - excess of ₹32389.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52876.00 lakhs); and

(ख) "अन्य व्यय - एनआरएचएम को अग्रिम अनुबंध" - ₹5802.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(b) "Other Expenditure – Forward Linkages to NRHM" - excess of ₹5802.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ग) "प्रशिक्षण - ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़" - ₹175.06 लाख का अधिक व्यय (₹1014.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे जाने, पूर्तियों और सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(c) "Training – Rural Health Training Centre, Najafgarh"- excess of ₹175.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1014.00 lakhs) was due to filling up of vacant posts and requirement of additional funds towards procurement of supplies and materials.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान" -

(C) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" -

(क) "परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं" - शहरी परिवार कल्याण केंद्र" - ₹149.83 लाख का अधिक व्यय (₹8372.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(a) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services - Urban F.W. Centres" - excess of ₹149.83 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8372.00 lakhs);

(ख) "परिवार कल्याण - प्रशिक्षण" -

(b) "Family Welfare – Training" –

(i) "एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण" - ₹468.49 लाख का अधिक व्यय (₹10228.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र" - ₹108.38 लाख का अधिक व्यय (₹2470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रखरखाव" - ₹1498.53 लाख का अधिक व्यय (₹26635.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) "लोक स्वास्थ्य - रोगों की रोकथाम और नियंत्रण - राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (बाह्य सहायताप्राप्त संघटक)" - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹405.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना - परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन" - ₹1182.42 लाख का अधिक व्यय (₹5404.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(च) "परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और पूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क पूर्ति" - ₹560.94 लाख का अधिक व्यय (₹6667.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(i) "Training of ANM/LHVs" - excess of ₹468.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10228.00 lakhs);

(ii) "Health and FW Training Centre" — excess of ₹108.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2470.00 lakhs);

(c) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt FW Bureaux" – excess of ₹1498.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26635.00 lakhs);

(d) "Public Health - Prevention and Control of Diseases - National T.B. Control Programme (Externally Aided Component)" - excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹405.00 lakhs); and

(e) "Tribal Area Sub Plan – FW – Direction and Administration"- excess of ₹1182.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5404.00 lakhs).

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim

(f) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of FP Material" – excess of ₹560.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6667.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from the State Governments

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹129.47 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत और 24 प्रतिशत था।

(III) Under two heads excess of ₹129.47 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 13 percent and 24 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4210” चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4210” Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	221382.00			
पू.	S.	1.00	132506.00	125602.42	-6903.58
पु.	R.	-88877.00			
मुख्य शीर्ष “4211” परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4211” Capital Outlay on Family Welfare				
मू.	O.	701.00	91.00	23.55	-67.45
पु.	R.	-610.00			
मुख्य शीर्ष “4216” आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4216” Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	7748.00	4733.00	4368.78	-364.22
पु.	R.	-3015.00			

(I) ₹14567.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹14279.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of ₹14567.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) remained wholly unutilised under twenty one heads; of these ₹14279.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4210" -

(क) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(i) "डा. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान" - ₹995.00 लाख;

(ii) "राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग कालेज, नई दिल्ली" - ₹1500.00 लाख;

(ख) "लोक स्वास्थ्य - अन्य कार्यक्रम" -

(i) "बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गुइंडी, चेन्नई" - ₹2327.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम" - ₹700.00 लाख; और

(iii) "केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन" - ₹2000.00 लाख।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूंजीगत/मुख्य निर्माण कार्यों के मूर्तरूप न लेने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) "केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली" - ₹1757.00 लाख उपस्करों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने और निर्माण कार्यों का निष्पादन न किए जाने के कारण थे।

(v) "स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रबंधन" - ₹4500.00 लाख मुख्य निर्माण कार्यों के मूर्तरूप न लेने और मोटर वाहनों/उपस्करों की खरीद न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती

(A) Major Head "4210" –

(a) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(i) "Dr. R.M.L. P.G. Institute of Medical Education and Research" – ₹995.00 lakhs;

(ii) "Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi" – ₹1500.00 lakhs;

(b) "Public Health – Other Programmes" -

(i) "B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai" – ₹2327.00 lakhs;

(ii) "National Organ Transplant Programme" - ₹700.00 lakhs; and

(iii) "Central Drugs Standards Control Organisation" – ₹2000.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilized due to non-materialisation of capital/major works.

(iv) "Central Research Institute, Kasauli" – ₹1757.00 lakhs – due to non-finalisation of process of procurement of equipments and non-execution of works.

(v) "Health Sector Disaster Preparedness and Management" – ₹4500.00 lakhs – due to non-materialisation of major works and non-purchase of motor vehicles/ equipments.

(B) Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Other Housing – Lady

एस.के. अस्पताल" - ₹500.00 लाख निर्माण कार्यों के मूर्तरूप न लेने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "4210" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवाएं" -

(क) "केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना - औषधालयों/ अस्पतालों की स्थापना" - ₹1590.67 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) "अस्पताल और औषधालय" -

(i) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹6743.21 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ii) "अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई" - ₹440.22 लाख की बचत (₹460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(iii) "कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹272.88 लाख की बचत (₹535.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति होने और वाहनों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(iv) "डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹3080.59 लाख की बचत (₹6870.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

Hardinge Medical College and Smt. S.K. Hospital" - ₹500.00 lakhs – due to non-materialisation of works.

(II) Under Major Head "4210" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Urban Health Services" –

(a) "Central Government Health Scheme - Setting up of Dispensaries/Hospitals" - saving of ₹1590.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 2500.00 lakhs);

(b) "Hospitals and Dispensaries" –

(i) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – saving of ₹6743.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs); and

(ii) "All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai"- saving of ₹440.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹460.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow progress of works by Central Public Works Department.

(iii) "Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi" – saving of ₹272.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹535.00 lakhs) was due to slow progress in major works and non-procurement of vehicles.

(iv) "Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi" – saving of ₹3080.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6870.00 lakhs);

(v) "केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची" - ₹1886.60 लाख की बचत (₹3234.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "अन्य व्यय - निरीक्षण समिति के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थाएं" - ₹9400.00 लाख की बचत (₹23400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान - एलोपैथी" -

(क) "एम्स की तरह के अतिविशिष्ट अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन" - ₹52159.30 लाख की बचत (₹137621.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें मुख्य निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति की गति धीमी होने के कारण हुईं।

(ख) "लेडी हार्डिंग चिकित्सा कालेज और श्रीमती एस. के. अस्पताल" - ₹821.67 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति होने और वाहनों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(गा) "लोक स्वास्थ्य" -

(क) "लोक स्वास्थ्य शिक्षा - एआईआईएच और पीएच, कोलकाता" - ₹530.41 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) साल्ट लेक में द्वितीय परिसर के लिए प्रयोगशाला उपस्करों और फर्नीचर की कम अधिप्राप्ति किए जाने के कारण हुई।

(v) "Central Institute of Psychiatry Ranchi"- saving of ₹1886.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3234.00 lakhs);

(c) "Other Expenditure – Institutions of higher learning as per Oversight Committee" – saving of ₹9400.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23400.00 lakhs); and

(B) "Medical Education, Training and Research – Allopathy" –

(a) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals" - saving of ₹52159.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹137621.00 lakhs).

Savings under the above four heads were due to slow pace in procurement of equipments owing to slow progress in major works.

(b) "Lady Hardinge Medical College and Smt. S.K.Hospital" – saving of ₹821.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to slow progress in major works and non-procurement of vehicles.

(C) "Public Health" -

(a) "Public Health Education - AIIH and PH, Kolkata" - saving of ₹530.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to less procurement of laboratory equipments and furniture for second campus at Salt Lake.

(ख) "अन्य कार्यक्रम - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र" - ₹4850.00 लाख की बचत (₹4925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य निर्माण कार्यों की धीमी गति होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "4211" - "अन्य व्यय - परिवार कल्याण प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र, मुंबई" के अंतर्गत ₹676.45 लाख की बचत (₹700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति होने की वजह से उपस्करों की अधिप्राप्ति की गति धीमी होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "4216" - "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची" - ₹111.34 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 210 बिस्तरों वाले होस्टल और रिहायशी फ्लैटों के निर्माण में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "एम्स की तरह के अतिविशिष्ट अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन" - ₹2235.16 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(गा) "सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली" - ₹354.99 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारका में नर्सों के हास्टल के निर्माण में धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹79.73 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 80 प्रतिशत थी।

(b) "Other Programmes – National Centre for Disease Control" - saving of ₹4850.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4925.00 lakhs) was due to slow pace of major works.

(III) Under Major Head "4211" - "Other Expenditure - Family Welfare Training and Research Centre, Mumbai" - saving of ₹676.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹700.00 lakhs) was due to slow pace in procurement of equipments owing to slow progress in major works.

(IV) Under Major Head "4216" – "Government Residential Buildings – Other Housing" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Central Institute of Psychiatry, Ranchi" – saving of ₹111.34 lakhs (against the sanctioned provision of ₹150.00 lakhs) was due to slow progress in construction of 210 bedded hostel and resident flats.

(B) "Establishment of AIIMS type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals" – saving of ₹2235.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to slow progress in capital works.

(C) "Safdarjung Hospital, New Delhi" – saving of ₹354.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to slow progress in construction of Nurses Hostel at Dwarka.

(V) Under one head saving of ₹79.73 lakhs occurred constituting 80 percent of the sanctioned provision.